न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर झालावाड

पीठासीन अधिकारी : दाताराम आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र सं. 85/2018 {14(4) आवंटन नियम 1970} रामदयाल बनाम मांगीलाल
(ऑनलाइन प्रकरण सं. 2018/00119)

रामदयाल पुत्र प्रताप जाति चमार आयु 55 साल निवासी पीपलखेड़ी तहसील छीपा बड़ोद जिला बारां राजस्थान।

..... प्रार्थी

बनाम

1 मांगीलाल पुत्र कजोड़ जाति चमार (फोत) के वारिसान
1/1 मोहनलाल पुत्र मांगीलाल
1/2 नंद किशोर पुत्र मांगीलाल,
1/3 मुकेश पुत्र मांगीलाल,
1/4 बादाम पुत्री मांगीलाल,
1/5 तुलसीबाई पुत्र मांगीलाल
जाति चमार निवासियान पीपल खेड़ी तहसील छीपा बड़ोद जिला बारां।

2 राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार मनाहेरथाना।

3 भूमि आवंटन कमेटी ग्राम पंचायत बड़बद तहसील मनोहरथाना जरिये उपजिला मजिस्ट्रेट अकलेरा वर्तमान मनोहरथाना।

..... अप्रार्थीगण

प्रा.पत्र अंतर्गत नियम 14(4) राजस्थान कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 विरुद्ध आदेश भूमि आवंटन सलाहकार कमेटी जरिए एस.डी.एम. अकलेरा दिनांक 23.04.1977 अंतर्गत प्रार्थना पत्र सं. 1084/1977

उपस्थित :

1 प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री अमरसिंह लववंशी।

2 अप्रार्थी सं. 1/1 से 1/5 की ओर से अधिवक्ता श्री चरणसिंह चौहान।

4 अप्रार्थी सं. 2 व 3 की ओर से राजकीय पैरोकार।

निर्णय

दिनांक 28.02.2020

1 यह प्रार्थना पत्र अंतर्गत नियम 14(4) राजस्थान कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के तहत भूमि आवंटन सलाहकार कमेटी जरिए एस.डी.एम. अकलेरा के प्रार्थना पत्र सं. 1084/1977 में पारित आदेश दिनांक 23.04.1977 के विरुद्ध इस न्यायालय में पेश किया गया है।

2 प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय भूमि आवंटन सलाहकार कमेटी जरिए एस.डी.एम. अकलेरा के समक्ष राजस्थान कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के तहत प्रार्थना पत्र सं. 1084/1977 प्रस्तुत किया गया था। प्रार्थी का कथन है कि रामदयाल के पिता प्रताप जी व अप्रार्थी मृतक मांगीलाल दोनों सगे भाई थे और वर्षों से शामिल व संयुक्त परिवार में रह कर जीवन व्यतीत कर रहे थे। मांगीलाल पढ़ा लिखा था और प्रार्थी के पिता अनपढ़ थे। प्रार्थी के पिता ने अपने जीवनकाल से ग्राम चार्चोरनी तहसील मनोहरथाना जिला झालावाड़ की आराजी खसरा नं. 331 रकबा 11 बीघा 6 बिस्वा भूमि संवत 2019 से लगातार कब्जे काश्त में चली आ रही है जिसमें ज्वार तिली अलसी की फसल होकर लेते आ रहे हैं। प्रार्थी के पिता प्रताप ने उक्त खसरा नं. 331 में कब्जे काश्त में अपने भाई मांगीलाल का भी नाम दर्ज करवा दिया था परंतु इस दौरान प्रार्थी के पिता की दिनांक 10.12.1975 में फोत हो गए उस समय प्रार्थी मात्र 8 साल का ही था। प्रार्थी को घर गृहस्थी खेती बाड़ी का कोई ज्ञान नहीं था। परंतु मांगीलाल जहां तक जीवित रहा तब तक प्रार्थी उक्त आराजी में से 1/2 हिस्से पर काश्त करता चला आ रहा है और आज भी प्रार्थी के पास अपने पिता की 1/2 हिस्से की जमीन कब्जे काश्त में चली आ रही है। अप्रार्थी मृतक मांगीलाल आज से दो–तीन साल पूर्व फोत हो गया है और फोत होने के बाद मृतक के वारिसान का नाम दर्ज हो गया। और उक्त मांगीलाल के वारिसान ने प्रार्थी के पिता के हिस्से की जमीन पर कब्जा करने की धमकी दी कि यह सारी जमीन अब हमारे पिता की है और हम ही इस पर कब्जा करके काश्त करेंगे। इस पर प्रार्थी ने हल्का पटवारी से संपर्क किया तो पाया कि उक्त भूमि प्रार्थी के पिता के नाम अलॉट नहीं हुई बताई बल्कि सारी जमीन मांगीलाल ने चापलूसी बेईमानी से अपने नाम करवा ली है तब जाकर प्रार्थी को रिकार्ड में गड़बड़ी होने की जानकारी मिली। प्रार्थी भूमिहीन व्यक्ति है वर्तमान में प्रार्थी के पास

अपने पिता के द्वारा बसाई गई कब्जे काश्त की विवादग्रस्त भूमि पर काश्त करके फसल उगाकर अपने बच्चों का पालन कर रहा है। अप्रार्थीगण मांगीलाल ने व उसके वारिसान का आज तक विवादग्रस्त भूमि पर कोई कब्जा काश्त नहीं हैं। अप्रार्थी मांगीलाल व उसके वारिसान ग्राम पीपलखेड़ी तहसील छीपा बड़ोद जिला बारां में निवास करते हैं तथा वहीं पर उनकी जमीन जायदाद है अप्रार्थीगण भूमिहीन नहीं हैं जबकि अप्रार्थी ने आवंटन के प्रार्थना पत्र के क्रम सं. 4 में प्रार्थी के खाते में कितनी भूमि है विवरण दीजिये जिसमें अप्रार्थी द्वारा लिखा कि उसके पिता व स्वयं के खाते में बिल्कुल भी भूमि नहीं है वह भूमि हीन की श्रेणी में है। जबकि प्रार्थी द्वारा उसका रिकार्ड निकालने के बाद अप्रार्थी के नाम से ग्राम हिण्डोला पटवार हल्का कलमोदिया तहसील छीपा बड़ोद जिला बारा में खसरा नं. 53 की 1 बीघा 8 बिस्वा व खसरा नं. 147/97 रकबा 4 बीघा कुल 2 किता की 5 बीघा 8 बिस्वा भूमि दर्ज है। जिसमें अप्रार्थीगण खातेदार दर्ज हैं इस प्रकार अप्रार्थी ने राजस्थान सरकार को धोखे में रखकर यह जमीन चापलूसी से अलॉट करवा ली है इस कारण अलाटमेंट खारिज किये जाने योग्य है। दखल नामा में भी भूमिहीन होने का अंकन दर्ज किया है। और उक्त संपूर्ण आराजी मृतक मांगीलाल ने अपने आवंटन करवा ली जो वर्तमान में उसके वारिसान के नाम दर्ज है जिस पर प्रार्थी का 1/2 हिस्से पर कब्जा है। प्रार्थी ने निवेदन किया है कि प्रार्थी का प्रार्थना स्वीकार फरमाया जाकर आवंटन आदेश दिनांक 23.04.1977 मिशल नं. 1084 को निरस्त फरमाया जावे।

2 उक्त प्रार्थना पत्र दर्ज किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मंगवाया गया। उक्त प्रक्रिया पूर्ण होने पर उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

3 प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री अमरसिंह लववंशी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित कथन को दोहराते हुए बहस में कथन किया कि अप्रार्थी मृतक श्री मांगीलाल भूमिहीन व्यक्ति नहीं था उसके खाते में भूमि दर्ज थी। अप्रार्थी ने कैंप में गलत तथ्यों के आधार पर भूमि अपने नाम अलॉट करवा ली जबकि इस भूमि के 1/2 हिस्से पर प्रार्थी के पिता का भी कब्जा था तथा वर्तमान में भी प्रार्थी का कब्जा है अप्रार्थीगण का 1/2 हिस्से पर कोई कब्जा नहीं है। अतः अप्रार्थीगण को किया गया आवंटन निरस्त करने का निवेदन किया

4 अप्रार्थी सं. 1/1 से 1/5 की ओर से अधिवक्ता श्री चरणसिंह चौहान ने बहस में कथन किया कि प्रार्थी एवं अप्रार्थी मांगीलाल के पिता सगे भाई नहीं थे। अप्रार्थी मांगीलाल भी अनपढ़ है और भूमिहीन था। भूमि का नियमानुसार आवंटन हुआ है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के बाद सक्षम अधिकारियों द्वारा उसकी जांच की गई तथा भूमि आवंटन एवं सलाहकार कमेटी ने आवंटन किया है जिसको निरस्त करने का कोई आधार प्रार्थी ने पेश नहीं किया है। प्रार्थी की नियत में खोट है व प्रार्थना पत्र गलत आधारों पर पेश किया है अतः प्रार्थना पत्र निरस्त करने का निवेदन किया।

6 उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपांत गंभीरतापूर्वक अध्ययन किया गया।

7 अधीनस्थ न्यायालय भूमि आवंटन एवं सलाहकार कमेटी की मिशल नं. 1084/1977 का अवलोकन किया। जिसके अनुसार आवेदन मांगीलाल पुत्र कजोड़ ने दिनांक 25.02.1977 को किया जिसमें खसरा नं. 331 रकबा 11 बीघा 6 बिस्वा के आवंटन की प्राथना की गई। भूमि आवंटन कमेटी ने आवेदन स्वीकार कर खसरा नं. 331 रकबा 11 बीघा 6 बिस्वा को श्री मांगीलाल को दिनांक 23.04.1977 को आवंटित कर दी गई एवं आवंटित भूमि का आवंटी को कब्जा दिनांक 29.05.1977 को दिया गया।

8 प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में अंकित किया है कि अप्रार्थी भूमि नहीं था तथा प्रार्थना पत्र के समर्थन में राजस्व रिकार्ड प्रस्तुत कर तर्क दिया है कि उसके नाम ग्राम हिण्डोला पटवार हल्का कलमोदिया तहसील छीपा बड़ोद जिला बारा में खसरा नं. 53 की 1 बीघा 8 बिस्वा व खसरा नं. 147/97 रकबा 4 बीघा कुल 2 किता की 5 बीघा 8 बिस्वा भूमि दर्ज है। जिसमें अप्रार्थीगण खातेदार दर्ज हैं इस प्रकार अप्रार्थी ने राजस्थान सरकार को धोखे में रखकर यह जमीन चापलूसी से अलॉट करवा ली है। प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार यह सिद्ध नहीं होता है कि अप्रार्थी मांगीलाल के पास उक्त भूमि आवंटन के समय उसके खाते में दर्ज थी या नहीं। इसके अलावा यदि दर्ज मान भी लिया जावे तो सामान्यतया भूमिहीन व्यक्ति वह होता है जिसके पास 15 बीघा भूमि से कम भूमि हो इस दृष्टि से भी अप्रार्थी भूमिहीन व्यक्ति की श्रेणी में आता है। हालांकि आवंटन के बाद भूमि 15 बीघा से कुछ अधिक हो जाती है। परंतु प्रार्थी ने जो रिकार्ड प्रस्तुत किया है वह संवत 2072–75 का है जिससे यह प्रमाणित नहीं होता है कि आवंटन संवत 2029–30 (1977) में आवंटी के पास आवंटित भूमि सहित 15 बीघा से अधिक भूमि होती हो।

प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में दूसरा आधार यह लिया है कि आवंटित भूमि पर आवंटी का कब्जा नहीं है। इस संबंध में आवंटी ने कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है बल्कि आवंटी को दिनांक दिनांक 29.05.1977 को कब्जा दिया जाना राजस्व रिकार्ड से प्रमाणित है तथा अप्रार्थीगण वर्तमान में खातेदार हैं।

अप्रार्थी को किया गया आवंटन वर्ष 1977 का है जो कि काफी पुराना हो चुका है जो

कि लगभग 43 वर्ष लंबी अवधि का है और आवंटन के करीब 41 वर्ष पश्चात वर्ष 2018 में प्रार्थी द्वारा नियम 14(4) के तहत इस न्यायालय के समक्ष आवंटन निरस्त करवाने बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। आवंटन नियमों के तहत आवंटन से 10 वर्ष पश्चात खातेदारी अधिकार स्वतः ही प्राप्त हो जाते हैं। जबकि आवंटी के आवंटन को काफी लंबा समय हो चुका है और आवंटी को खातेदारी अधिकार भी प्राप्त हो चुके हैं। आवेदन पत्र के अनुसार स्पष्ट है कि आवंटी भूमिहीन व्यक्ति है। उसके द्वारा आवंटन कराने में किसी प्रकार से कोई कपट पूर्ण कार्यवाही अथवा किसी प्रकार का कोई फ्रॉड या मिस रिप्रजेंटशन नहीं किया गया है। विधिवत आवंटन आवेदन पत्र प्रस्तुत कर आवंटन कराया गया है। जिस पर संबंधित पटवारी हल्का एवं गिरदावर द्वारा भी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। इस न्यायालय में प्रार्थी ने ऐसा कोई ठोस आधार पेश नहीं किया है जिसके आधार पर इतने पुराने आवंटन को निरस्त किया जावे। अतः आवंटन निरस्त किया जाना न्यायोचित नहीं है।

9 अतः प्राथी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत नियम 14(4) राजस्थान कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 खारिज किया जाता है।

(दाताराम)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
झालावाड़

10 निर्णय आज दिनांक 28.02.2020 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दाताराम)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
झालावाड़